आज़ादी का अमृत महोत्सव

केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु0)
Kendriya Vidyalaya Sangathan (Hq.)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीदजीतसिंहमार्ग
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg
नई दिल्ली–110016New Delhi – 110016
टेलीफोन 011-26858570 फैक्स FAX: 26514179
वेबसाईट Website: http://kvsangathan.nic.in

एफ. 11058/चय.वे./कार्यानुभव शिक्षक/2020/केवीएस/आरपीएस अनुभाग/1688-1718

दिनांक: 1.06.2022

कार्यालय आदेश

विभागीय स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से निम्नलिखित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (कार्यानुभव) को भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय) के पत्र सं.एफ.5-180/86-यूटी-1/ दिनांक 12-08-1987, 03-11-1987 एवं 06-02-1989 द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार ₹7500-250-12000 (पे बैण्ड-3 ₹15600-39100 के साथ ग्रेड पे ₹5400 (6वें सीपीसी) व लेवल-10 (7वें सीपीसी) के साथ चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाता है बशर्ते कि उन्होने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (कार्यानुभव) के पद पर प्राप्त वरिष्ठ वेतनमान पर 12 वर्ष की सेवाएं पूर्ण की हों तथा वह चयनित वेतनमान स्वीकृति की तिथि तक उसी पद पर कार्यरत हो। यदि उन्हे कभी भी, किसी भी कारणवश चयनित वेतनमान हेतु अयोग्य पाया जाता है तो इस आदेश को वापिस ले लिया जाएगा तथा चयनित वेतनमान पर आहरित की गई राशि उनके द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन को वापस लौटानी होगी।

संबंधित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (कार्यानुभव) का चयनित वेतनमान पर वेतन निर्धारण केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों पर लागू वित्तीय नियम-22 (I)(ए)(2) के प्रावधानों के अनुसार ही नियत किया जाएगा। तद्नुसार उनके पास विकल्प है – (1) नए वेतनमान में अपना वेतन चयनित वेतनमान देय तिथि से नियत करवा लें या (2) अपना वेतन पुराने पद के वरिष्ठ वेतनमान में अपनी वेतनवृद्धि की तारीख से नियत करवा ले। यदि संबंधित शिक्षक अपना वेतन पुराने पद के वरिष्ठ वेतनमान में अपनी अगली वेतनवृद्धि की तारीख से नियत करने का विकल्प चुनता है तो उसका वेतन उसी चरण पर नियत किया जाएगा, यदि वह चरण उपलब्ध हो या पुराने पद के वरिष्ठ वेतनमान में सामान्य वेतनवृद्धि की स्वीकृति प्रदान करते हुए चयनित वेतनमान पर अगला चरण उपलब्ध हो (i.e. in case, the individual opts for fixation of his/her pay w.e.f. the date of his/her next increment in the Senior Scale of the old post, his/her pay will have to be fixed at the same stage if the same stage is available or the next stage in the selection scale after allowing normal increment in the senior scale of the old post) वेतनवृद्धि का विकल्प संबंधित प्राचार्य को इस आदेश की प्राप्त होने की तिथि से एक महीने के भीतर प्रस्तुत करना होगा तथा इस संदर्भ में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (कार्यानुभव) द्वारा जो भी विकल्प दिया जाएगा वह अंतिम होगा। संबंधित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (कार्यानुभव) के विवरण निम्नानुसार हैं –

प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (कार्यानुभव)

₹ 12000-250-7500(पे बैण्ड-3 ₹ के साथ ग्रेड पे 39100-15600 ₹ 5400(6वें सीपीसी) व लेवल 10-(7वें सीपीसी)

क्र. सं.	वरियता क्रमांक (वरिष्ठता सूची वर्ष 2004)	नाम	केन्द्रीय विद्यालय	प्र.स्ना.शि. के पद पर कार्यभार ग्रहण तिथि	प्र.स्ना.शि. के पद पर वरिष्ठ वेतनमान की तिथि	चयनित वेतनमान स्वीकृति की तिथि
1	427	Sh. R Annapurna TGT (WET)	Khanchanbhag	22.06.1987	22.06.2002	01.01.2020

(शिव कुमार द्विवेदी)
सहायक आयुक्त (प्रशा.)

प्रतिलिपि प्रेषित-

1. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, सभी संभागीय कार्यालय को इस निवेदन के साथ कि वह अपने संभाग के अधीन आने वाले सभी केन्द्रीय विद्यालयों के प्राचार्य तथा संबंधित शिक्षको को यह आदेश सूचनार्थ एवं समुचित अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित करें।

2. उपायुक्त (शैक्षिक एवं ईडीपी) के.वि.सं. (मु.) नई दिल्ली को इस निवेदन के साथ कि वे इस कार्यालय आदेश को के.वि.सं. (मु.) की वेबसाईट पर अपलोड करें।

3. प्राचार्य संबंधित केन्द्रीय विद्यालय को इस निर्देश के साथ कि –

   i) चयनित वेतनमान प्रदान करने से पहले आदेश में संबंधित शिक्षक के दिये गए विवरण उनके सेवा रिकार्ड से जांच लिए जाएं तथा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि संबंधित शिक्षक की पदौन्नति की तिथि उनके चयनित वेतनमान स्वीकृति की तिथि से पूर्व न हो। कोई भी त्रुटि पाए जाने पर आदेश प्राप्ति की तिथि से 15 दिन के अंदर इस कार्यालय को सूचित करें।

   ii) संबंधित शिक्षक से 3 प्रतियों में प्रपत्र में वचनबंध ले ली जाए, जिसकी एक प्रति उसकी सेवा पुस्तिका, दूसरी प्रति उसकी व्यक्तिगत मिसिल तथा तीसरी प्रति संबंधित संभागीय कार्यालय को सूचनार्थ अग्रेषित की जाए।

   iii) इस आदेश को लागू करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि संबंधित शिक्षक के विरूद्व कोई सतर्कता मामला / विभागीय कार्रवाई लंबित ना हो और संबंधित शिक्षक ने चयनित वेतनमान देय तिथि से पिछले 6 वर्षो में 21 दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण ग्रहण किया हो।

   iv) अन्य विवरण जैसे केन्द्रीय विद्यालय का नाम, पदभार ग्रहण तिथि, वरिष्ठ वेतनमान देय तिथि भी जांच ली जाए।